न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ पचवारा जिला–दौसा।

पीठासीन अधिकारी :–सुश्री वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 51/23 प्रार्थना पत्र

1. देवीराम पुत्र बुद्धा
2. भुवाना पुत्र बुद्धा

जाति मीना निवासी सुल्तानपुरा तहसील रामगढ जिला दौसा।
(प्रार्थीगण)

बनाम

1. कमली देवी पत्नि रामचन्द्र जाति मीना निवासी बूडथल तहसील बस्सी जिला जयपुर हालवासी सुल्तानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये– तहसीलदार रामगढ पचवारा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) रा0 का0 अधि0 1955

:: निर्णय :: दिनांक :– 06.02.2024

उपस्थिति :– श्री विष्णु कुमार शर्मा एडवोकेट (प्रार्थीगण)

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0का0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 129 रकबा 2.5546 हैक्टयर भूमि वाकै ग्राम सुल्तानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि पर कृषि जोत तक जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। प्रार्थीगण द्वारा आराजी ख0न0 131 रकबा 1.4038 हैक्टयर वाकै ग्राम सुल्तानपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा में से पुर्वी डोल से होकर 12 फीट चौडा रास्ता दिए जाने हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थीगण ख0स0 131 के खातेदार को उनके रकबे से कम होने वाली भूमि के लिए वर्तमान डिएलसी रेट की दर से खातेदार को दुगनी राशि का भुगतान करने को तैयार है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्तें में जाने वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में किस्म रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा ने पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया की प्रार्थीगण को पूर्व से ही ख0सं0 129 की भूमि में आवागमन हेतु करीब 15 फीट चौडा रास्ता ख0 स0 130 की पूर्वी सीमा से उपलब्ध है। धारा 251 ए के तहत जहां किसी व्यक्ति के पास अपनी जोत तक आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो उसे किसी भी सूरत में दुसरे की खातेदारी कि [illegible] रास्ता उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा। साथ ही ख0स0 131 का मुख्य फंट मुख्य [illegible] वाली से लगता हुआ है जिसकी चौड़ाई भी करीबन 30–40 फिट है। जो अप्रार्थी को स्वयं की खातेदारी [illegible] में आवागमन हेतु चाहिए। अप्रार्थी की भूमि का फंट अग्र भाग पहले ही कम क्षेत्र पर है ऐसी दशा में ख0सं0 131 में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 20.02.2023 को इस न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। उक्त निर्णय की अपील में माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 04.07.2023 द्वारा पत्रावली इस निर्देश के साथ प्राप्त हुई कि उभयपक्षकारान दिनांक 25.07.2023 को इस न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित हो। पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्ट्रर किया गया व माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 04.07.2023 की पालना में तहसीलदार रामगढ़ पचवारा से मौका तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 31.07.2023 द्वारा अवगत कराया गया कि ख0सं0 129 पर पहुँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है व सबसे कम दूरी का रास्ता ख0सं0 131 से होकर 12 फीट चौड़ा व 396 फीट लंबाई का पड़ेगा। उक्त रिपोर्ट में निर्णय दिनांक 04.07.2023 के बिंदु संख्या 21(1) अनुसार पक्षकारान की उपस्थिति का स्पष्ट अंकन नहीं होने व बिंदु संख्या 21(2) के कम में आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित ख0सं0 130 में से संभावित रास्ते के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट नहीं होने के कारण पुनः उक्त बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार के पत्रांक दिनांक 21.09.23 द्वारा पुनः रिपोर्ट इस न्यायालय को प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 15.12.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए अभिकथन किया की प्रार्थीगण के पास स्वयं की कृषि भूमि ख0सं0 129 पर पहुँच हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार पहुँच हेतु ख0स0 131 मे से रास्ता दिया जावे। जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार निर्धारित प्रतिकार जमा कराने के लिए तैयार है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। जमाबंदी सम्वत् 2076–79 के अवलेकन से स्पष्ट है की ख0सं0 129 के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार है। तहसीलदार रिपोर्ट का निर्णय दिनांक 04.07.2023 के निर्देशों के कम में बिंदुवार अवलोकन किया जो निम्नानुसार है:

1. तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार की जानी थी। रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ख0स0 131 के खतेदार को दिनांक 21.09.2023 को मौके पर बुलाया गया। मौका फ़र्द अनुसार [illegible] उपस्थित था लेकिन हस्ताक्षर करने से मना किया। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार कोई मौका निरीक्षण से पूर्व पक्षकारान को सूचित किया गया था। तथ्यात्मक रिपोर्ट व मौका फ़र्द पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

2. तहसीलदार से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदुओ पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। अप्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पूर्व में इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि पत्र दिनांक 30.08.2022 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है व उक्त रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते की उपलब्धता के बारे में खुलासा नहीं किया गया है। ख0सं0 129 में आवागमन हेतु रास्ता ख0सं0 130 की पूर्वी सीमा डोले से मुख्य सड़क तक उपलब्ध है जिसे नज़री नक़्शे में अंकित नहीं किया है। रिपोर्ट में ख0सं0 131 का मुख्य फ्रंट कितनी लंबाई चौडाई है। यह अंकित नहीं है। ख0स0 131 का मुख्य फ्रंट मा. 30–40 फीट चौड़ा है जिसमे रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। उक्त आपत्तियों के संबंध में तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 21.09.2023 में अकिंत किया है ख0स0 129 में जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। व ख0स0 130 की पूर्वी सीमा डोले से मुख्य सड़क तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। रिपोर्ट अनुसार ख0सं0 131 का मुख्य फ्रंट कि लंबाई मूल शीट में 136 फीट है जबकि रास्ता 12 फीट चौडाई ही चाहा गया है।

3. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ख0स0 131 के पुर्व में ख0स0 130 का रकबा पड़ता है जिसमे पक्की दुकान व बाड़ा बनाया गया है जिसमे से रास्ता नहीं दिया जा सकता है।

4. तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख0स0 131 का मुख्य फ्रंट मूलशीट में 136 फीट है।

उक्त रिपोर्ट पर न्यायालय में उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब व आपत्ति प्रार्थना पत्र में कथन किया गया था कि ख0स0 129 पर पहूँच हेतु पूर्व से ही ख0स0 130 की पूर्वी सीमा से रास्ता उपलब्ध है किंतु यह कथन पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है की ख0स0 129 में जाने हेतु ख0स0 130 की पूर्वी सीमा डोले से मुख्य सड़क तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और न ही कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। मौक़ा जॉच रिपोर्ट अनुसार ख0स0 129 पर पहुॅच हेतु सबसे कम दुरी का रास्ता ख0सं0 131 में से दिया जा सकता है जिसकी लंबाई ख0स0 131 में 396 फीट होगी। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब व आपत्ति प्रार्थना पत्र में अन्य आपत्ति यह की गई कि ख0सं0 131 के मुख्य फ्रंट की चौड़ाई भी करीबन 30–40 फीट है जो अप्रार्थी को स्वयं की खतेदारी कि भुमि में आवागमन हेतु चाहिए ऐसी दशा में ख0स0 131 में से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। उक्त कथन पत्रवली में उपलब्ध दस्तावेजों से सिद्ध नहीं होता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख0स0 131 का मुख्य फ्रंट मूलशीट में 136 फीट चौड़ा है जबकि प्रार्थीगण द्वारा केवल 12 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है। इस प्रकार ख0स0 131 का मुख्य फ्रंट की चौड़ाई प्रस्तावित रास्ता दिया जाने के पश्चात भी पर्याप्त है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख0स0 129 में पहुॅच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। व प्रार्थी को कृषि भूमि के उपयोग हेतु नया रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested
Scanned with OKEN Scanner

दिया जाना आवश्यक है और मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। सबसे कम दूरी का रास्ता ख0स0 131 मे से दिया जा सकता है इसलिए ख0स0 129 में पहूँच हेतु ख0स0 131 में से लंबाई 396 फ़ीट व चौडाई 12 फीट का रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा पेश रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक़्शे में दर्शित प्रस्तावित रास्ता अनुसार खसरा संख्या 131 वाकै ग्राम सुल्तानपुरा तहसील रामगढ़ पचवारा में से 396 फ़ीट लंबाई व 12 फीट चौड़ाई रास्ता डीएलसी दर के दो गुना राशि पर गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक होगा व प्रार्थीगण उक्त स्वीकृत रास्ते की भूमि में आवागमन के अतिरिक्त कोई अन्य अधिकार अर्जित नहीं कर सकते है। तहसीलदार रामगढ़ पचवारा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डीएलसी दर की दो गुना राशि जमा कराने पर रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड व नक़्शाशीट में करें तथा जमा की गई राशि नियमानुसार खसरा संख्या 131 के खातेदार को देय होगी। रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बादतकमिल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Varsha Meena
Date: 2024.09.05 15:09:46 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner